[2018] 3 एस.सी.आर. 1008

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

बनाम

डॉ। शार्विल थट्टे और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 3612 वर्ष 2018) अप्रैल 05, 2018

[अरुण मिश्रा और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान - मेडिकल प्रवेश - पात्रता मापदंड - अधिवास स्थिति - महाराष्ट्र राज्य में गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचना जारी - अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंड में शर्त संख्या (ii) में कहा गया है कि उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी होगा - प्रतिवादी संख्या 1 से 9 द्वारा इसे चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिका, अनुमति दी गई - अपील पर, आयोजित: डॉक्टर कृति लखीना बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4.04.2018 के फैसले में, सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सरकारी कोटा सीटों के संबंध में कर्नाटक राज्य द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में शामिल समान शर्त की चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है - उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मान्य है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:-

1. डॉक्टर कृति लखिना बनाम कर्नाटक राज्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 204/2018) में इस न्यायालय के दिनांक 04.04.2018 के निर्णय और आदेश द्वारा, प्रवेश के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में शामिल समान स्थिति की चुनौती सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों और निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के संबंध में स्वीकृति दी गई। [पैरा 6] [1010- सी) डॉक्टर कृति लखिना बनाम कर्नाटक राज्य का निर्णय दिनांक 04.04.2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 204/2018 में]; डॉ. प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एससीआर 942; विशाल गोयल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2014) 11 एससीसी 456-पर भरोसा किया गया। 1008 महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉक्टर शार्विल थट्टे।

केस कानून संदर्भ

[1984] 3 एससीआर 942 पैरा5 पर निर्भर था।

(2014) 11 एससीसी 456 पैरा5 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3612 वर्ष 2018

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 1814 वर्ष 2018 में ।

तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री दीपा एम कुलकर्णी अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पूजा थोराट, सत्यजीत ए.देसाई, सुश्री अनघा एस.देसाई, सुधांशु एस.चौधरी, सुश्री सुरभि गुलेरिया, शकुल आर. घाटोले उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमती प्रदान की गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील रिट याचिका संख्या 1814 वर्ष 2018 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.02.2018 को चुनौती देने का प्रयास करती है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने शर्त संख्या (ii) को चुनौती देते हुए उपरोक्त रिट याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र राज्य में गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.01.2018 में निर्धारित पात्रता मानदंड में शर्त इस प्रकार है:-

"(ii) उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का निवासी होगा।"

4. इसी तरह की शर्त जो राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए लगाई गई थी, उस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका संख्या 5283 वर्ष 2017 में दिनांक 30.04.2017 के आदेश के तहत रोक लगा दी थी। जिस आदेश को इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14447 वर्ष 2017 दाखिल कर चुनौती दी गयी थी। हालाँकि, उक्त याचिका पर राज्य द्वारा दबाव नहीं डाला गया और तदनुसार इस न्यायालय द्वारा 05.05.2017 को इसका निपटारा कर दिया गया।

5. उपरोक्त शर्त को चुनौती को उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने फैसले में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रदीप जैन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए स्वीकार कर लिया था और विशाल गोयल और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में।

याचिका को स्वीकार करते हुए और शर्त को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा:-

"8] इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि,

यह कानून में स्थापित स्थिति है कि, हालांकि संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण प्रदान करना स्वीकार्य होगा, लेकिन जिस शर्त के तहत स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को भी उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है, वह स्वीकार्य नहीं होगी।

6. रिट याचिका (सिविल) संख्या 204/2018 में हमारे निर्णय और आदेश दिनांक 04.04.2018 द्वारा, हमने सरकारी कॉलेजों में स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश और निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सरकारी कोटा सीटों के संबंध में कर्नाटक राज्य द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में शामिल समान शर्तों की चुनौती स्वीकार कर ली है। हमने मुख्य रूप से डॉक्टर प्रदीप जैन (सुप्रा) और विशाल गोयल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

7. इन परिस्थितियों में, हम वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इस प्रकार लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे अपील खारिज।

(1984) 3 एससीसी 654 (2014) 11 एससीसी 456

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019



अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"